ब न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही।

विविध वाद संख्या 03/2014–15

अब्दुल लतीफ –बनाम– समीम असांरी वगै0

दिनांक	–: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–	अभियुक्ति

प्रस्तुत वाद आवेदक अब्दुल लतीफ अपने अधिवक्ता के माध्यम से मौजा लखनवार, थाना चौपारण, जिला हजारीबाग के खाता संख्या 20, प्लॉट संख्या 70, रकबा 0.87 ए0 मधे रकबा 0.29 ए0 पर लाया गया है। आवेदक का कहना है कि उक्त खाता प्लॉट रकबा का द्वितीय पक्ष समीम अंसारी वगै0 का निर्गत हो रहे रसीद रोक लगाने हेतु जमाबंदी रद्द करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक का तर्क है कि जमांबदी अवैध तरीके से कायम कराया गया है। आवेदक के आवेदन का अवलोकन किया गया तथा आवेदक के अधिवक्ता को सुना तत्पश्चात उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया एवं अपने पक्ष में तहरीर एवं साक्ष्य दाखिल करने को कहा गया साथ ही अचंल अधिकारी, चौपारण को विस्तृत जांच प्रतिवेदन की मांग की गई।

प्रक्रिया में उभय पक्षों द्वारा अपना पक्ष में तहरीर दाखिल की गई एवं अंचल अधिकारी का जांच प्रतिवेदन दाखिल किया गया, जिसमें प्रथम पक्ष का कहना है कि अलीजान मियां वल्द रिको मियां के वंशज जो द्वितीय है, जो अपने पीछे तीन पुत्र सबीर अहमद, मो0 सकुर और वसीर तथा बेटियां सकीना खातुन, मो0 मरियम खातुन, मेहरू निशा और वाहिदा खातुन को छोडकर मर गये। अलीजान मियां अपने जीवन काल में चारों पुत्रियों का विवाह कर दिया जो अपने–अपने ससुराल में रह रही थी। सविना खातुन की शादी बरही थाने के छोटकी बरही गांव के मो0 कासिम के साथ हुई थी, मरियम खातुन की शादी बरकट्ठा के कोनहरा कला के हुसैनी मियां के साथ हुई थी। मेहरू निशा की शादी अमरोल निवासी अब्दुल लतीफ (आवेदक) के साथ हुई और वाहीदा खातुन की शादी भदेल, चौपारण के अब्दुल सलीम से हुई थी। जिन्होने अपने पिता की जीवन काल में पिता अलीजान मियां की संपति पर अपना अधिकार छोड़ दिया एवं अपने अधिकार का दावा नहीं किया अपने भाई के हित में। यह भी कि खाता संख्या 20, प्लॉट नं0 70 रकबा 0.87 ए0 रकबा मधे रकबा 0.29 ए0, मौजा लखनवार थाना चौपारण जिला हजारीबाग अलीजान मियां ने रजिस्ट्री केवाला नं0 1559 वर्ष 1953 से हासिल किया था और जीवन पर्यन्त दखल कब्जा और लगान देते आ रहे थे। अलीजान मियां की मृत्यु उपरान्त उनके तीनों बेटों को समान अधिकार मिला एवं लगान दिया जाने लगा। यह कि विपक्षी पार्टी नं0 5, 6 एवं 7 को तत्काल पैसों की आवश्यकता के कारण पार्टी नं0 (5) सवीर अंसारी पिता अलीजान, (6) सकुर मियां पिता अलीजान एवं (7) मसोमात रविया खातुन पति वशीरूद्दीन मियां सेल डीड संख्या 2374 दिनांक 24.09.2013 द्वारा आवेदक अब्दुल लतीफ को बिक्री

दिया गया तब से खेती–बारी एवं दखल कब्जा में है एवं क्रेता द्वारा पूरा पैसा दिया गया। यह भी कि याचिकाकर्ता जो अलीजान मियां का दामाद है उसे पहली बार जमाबंदी 2015 में पता चला कि उपरोक्त भूमि का किराया विपक्षी 1 से 4 द्वारा भुगतान किया जा रहा है, इसलिए आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार के तहत सूचना प्राप्त किया जिसमें सूचना मिली की उपहार दस्तावेज के आधार पर जो 1992 में ग्राम अमरोला के मोहम्मद कासिम मियां की पत्नी सकीना खातुन द्वारा निष्पादित किया गया, जिसका 21 वर्ष बाद दाखिल खारिज करते हुए जमांबदी खोली गयी है, जो गलत है। विपक्षी 1 से 4 कभी भी भूमि पर दखल कब्जा में नहीं है, लेकिन तथ्यों को छुपाकर लगान रसीद कटवाने मे सक्षम रहें। यह भी कहना है कि अंचल द्वारा निर्धारित नियम कानून को अपनाये वगैर विपरीत पक्ष संख्या 1 से 4 तक के पक्ष में रसीद जारी करने का आदेश पारित किया गया जो रद्द करने योग्य है। राजस्व कागजत के रूप में Photo Copy of sale deed Abdul Latif executed by Sabir Ansari, Sakur Miyan S/o Alizan Miyan, Rabiya Khatoon w/o Basiruddin Miyan in Dated 24/09/2013 With Aadhar Copy, Photocopy of Anchal Report Submitted by Circle officer, Chouparan on dated 07/10/15.

द्वितीय पक्ष से Additional Written Statement law objection Pettition दाखिल है, जिसमें द्वितीय पक्ष का कहना है कि आवेदक द्वारा सही तरीके से वाद नहीं लाये है, अतः नियमानुकूल नहीं है और उसे Reject किया जाय। यह भी कहना है कि याचिकाकर्ता के पास खाता संख्या 20, प्लॉट संख्या 70, रकबा 0.87 ए0 मधे रकबा 0.29 ए0, चौहदी उ0 सीमाना मौजा अमरोल, द0– मोनमोकिर हिस्सेदार किशुन राम पू0–सीमाना मौजा बरजू दास केन्दुआ एवं पश्चिम गोपाल मियां से संबंधित विवादित भूमि मौजा लखनवार खाता नं0 20 प्लॉट संख्या 70, रकबा 0.87 ए0 मधे रकबा 0.29 ए0 थाना चौपारण जिला हजारीबाग से है। ये भी कहना है कि विश्वनाथ राम को पैसो की जरूरत थी, जिसके कारण उनकी आवश्यकता अनुसार भूमि का मूल्य चुका कर अलीजान मियां को खाता संख्या 20 प्लॉट संख्या 70 रकबा 0.87 ए0 मधे रकबा 0.29 ए0 29.12.1952 (14.01.1953) को डीड नं0 1559 से बिक्री विलेख कर दिया तब से अलीजान मियां दखल कब्जा एवं लगान देते आ रहें है। ये भी कहना है कि अलीजान मियां एकरारनामा कानूनन निबंधित केवाला द्वारा सकीना खातुन पति मो0 कासिम ग्राम अमरोल परगना चाई, थाना चौपारण जिला हजारीबाग को रकबा 0.29 ए0 दिया है और सकीना खातुन शांतिपूर्ण दखल–कब्जा में है। सकीना खातुन अपने चार पुत्र मो0 समीम अंसारी, मो0 कासी वसीम, मो0 सोएब और अब्दूल बाहब को गिफ्ट केवाला संख्या 150 दिनांक 13.03.1992 में कर दी। सकीना खातुन के चारो पुत्र दाखिल खारिज वाद संख्या 366/2012–13 द्वारा दाखिल खारिज कराकर अद्यतन रसीद कटवाते आ रहे है। यह भी कहना है कि

सबीर अंसारी, सकुर असांरी दोनों वल्द अलीजान मियां, रूबीया खातुन पति बसीररूद्दीन मियां को डीड करने का अधिकार नहीं था, परन्तु इनके द्वारा केवाला किया गया जो गलत है। ये भी कहना है कि लम्बे समय से चल रहे जमाबंदी खारिज नहीं किया जा सकता है, यह तो सिविल का मामला है। राजस्व कागजात में लिखित बहस अलीजान मियां का सेल डीड, एकरारनामा की कॉपी गिफ्ट डीड, रजिस्टर–2 की कॉपी, रेन्ट रसीद जजमेन्ट की कॉपी दाखिल की गई है।

वाद की प्रक्रिया में अचंल अधिकारी चौपारण द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं एल0सी0आर0 की फोटो कॉपी दाखिल किया गया है। जांच प्रतिवेदन पत्रांक 428, दिनांक 29.04.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सर्वे खतियान में खाता नं0 20 चमन गोप वल्द गोठा गोप के नाम से रैयति दर्ज है। पंजी–2 के पृष्ट संख्या 39 के VOL-I पर खाता संख्या 20/2, रकबा 0.29 डी0 का लगान रू 0.50 अंचल से जमाबंदीदार अलीजान मियां पिता बेनी मियां के नाम से दर्ज है। रसीद वर्ष 2003–04 तक निर्गत है। दाखिल खारिज केश नं0 366/2012–13 द्वारा स्वीकृत होकर पृ0 सं0 21/II पर केवाला संख्या 150 दिनांक 13.03.92 के आलोक में समीम अंसारी वगै0 पिता मो0 कासीम के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि अलीजान मियां को खरीदगी द्वारा हासिल है। जांच प्रतिवेदन में अलीजान मियां का वंशावली दर्ज किया किया है, जो इस प्रकार हैः–

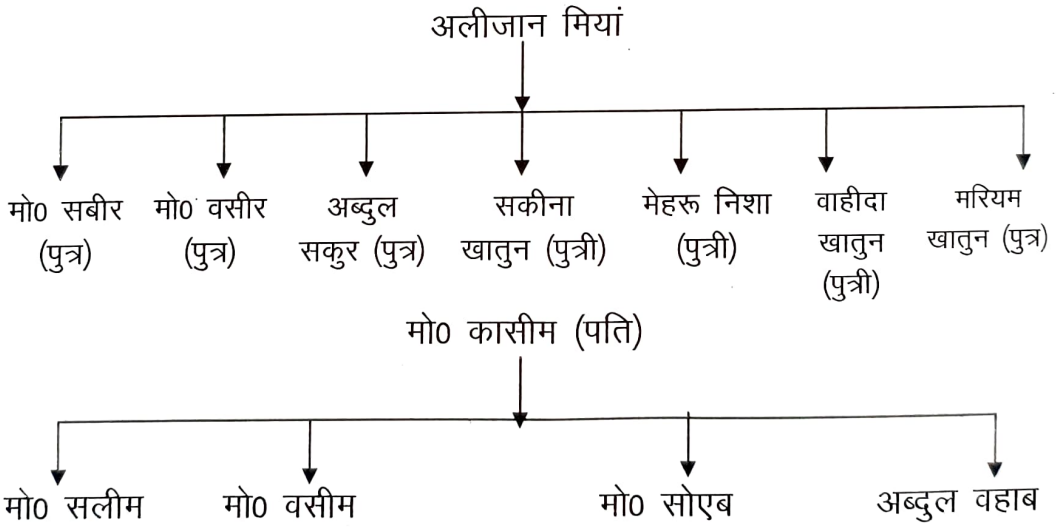

यह भी प्रतिवेदित किया है कि उक्त दाखिल खारिज वाद संख्या 366/2012–13 कर्मचारी द्वारा वंशावली लिए वगैर सकीना खातुन पति अलीजान मियां समझकर भूलवश अनजाने में दाखिल खारिज रिपोर्ट तैयार किया गया और वह भूल आगे भी पकड में नहीं आया और दाखिल खारिज स्वीकृत कर दिया गया, जो कि गलत है, जिसका रेकर्ड का छायाप्रति संलग्न किया गया है। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि जब अब्दूल लतीफ द्वारा सूचना का अधिकार के तहत रेकर्ड का छायाप्रति मांगा गया तो इस गलती का पता चला, जिसे अचंल निरीक्षक

के मौखिक आदेश से रेकर्ड में पति के जगह पिता लिखकर सुधार किया गया। इस रेकर्ड का भी छायाप्रति संलग्न है। यह भी प्रतिवेदित किया है कि ग्रामीणों की उपस्थिति में दखल कब्जा संबंधी जांच किया गया जिसमें अब्दुल लतीफ का दखल कब्जा पाया गया। अंचल अधिकारी ये भी प्रतिवेदित किया है कि उक्त दाखिल खारिज वाद संख्या 366/2012–13 को निरस्त किया जाय।

वाद की प्रक्रिया में उभय पक्षों के तहरीर अवलोकनोपरान्त दाखिल राजस्व कागजातों के समीक्षोपरान्त तथा विद्यवान अधिवक्ताओं को सुनने एवं अचंल अधिकारी, चौपारण के जांच प्रतिवेदन एवं एल0सी0आर0 की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि अलीजान मियां वल्द बेनी मियां को खतियानी रैयत से खरीदगी प्राप्त है, और अलीजान मियां के तीन पुत्र एवं चार पुत्री हुए। प्रश्नगत भूमि पर हक हकियत में पुत्रियों द्वारा कोई दावा नहीं किया गया तथा सुनवाई के क्रम में भी किसी के द्वारा कोई दावा नहीं किया गया है। उक्त खाता, प्लॉट एवं रकबा की जमीन में अलीजान मियां के वारिशान द्वारा बटवारा कर अपने–अपने दखल कब्जा भी बताया गया है। द्वितीय पक्ष मो0 समीम द्वारा गिफ्ट डीड द्वारा दाखिल प्रतिवेदित किया है। List of Documents में क्रमांक 3. में Deed of sakina khatoon का जिक्र है जिस आधार पर सकीना खातुन को अपने पिता अलीजान मियां से भूमि हासिल हुआ का स्पष्ट साक्ष्य नहीं प्रतीत होता है, यह की सादा एकरारनामा है, जो रजिस्ट्री नहीं है। इस आधार पर वंशावली अलीजान मियां के लिगल पुत्रों को हक अधिकार से वंचित किया जाना संदिग्ध है। उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, चौपारण के जांच प्रतिवेदन पत्रांक 428 दिनांक 29.04.2016 भी स्पष्ट करता है कि दाखिल खारिज केश संख्या 366/2012–13 में कर्मचारी के भूलवश पिता के जगह पति समझकर केश स्वीकृत किया गया था, जिसके साक्ष्य में रेकर्ड की कॉपी भी संलग्न किया गया है और यह भी अनुशंसा किया गया है कि नामांतरण वाद संख्या 366/2012–13 को निरस्त किया जाय। अतः उक्त के आलोक में चूंकि सकीना खातुन को एकरारनामा के आधार पर भूमि हासिल होना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता और गिफ्ट डीड करना भी न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। ये भी प्रतीत होता है कि अंचल को भ्रामक आवेदन एवं संबंध के आधार पर जमाबंदी कायम कराया गया है। ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष के आवेदन को स्वीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष मो0 समीम अंसारी वगै0 का जमाबंदी पर रोक लगाई जाती है। अंचल अधिकारी चौपारण को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

Digitally signed by AJAY BHAGAT
Date: 2024.06.18 18:28:17 +05:30
Location: 192.168.1.37

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बरही, हजारीबाग।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बरही, हजारीबाग।